


<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.124/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अख्तियार जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
<p>29.12.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी धीरज कुमार पुत्र रुपाराम जी खत्री, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री जी एन्टरप्राइजेज, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.3.2023 को फर्म श्री जी एन्टरप्राइजेज, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरौही में प्रतिवादी धीरज कुमार पुत्र रुपाराम जी खत्री से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) का नमूना संख्या S-2068 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./699/Act/ 2023/742 दिनांक 01.4.2022 में अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी धीरज कुमार ने नियत सुनवाई तिथि 19.12.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी धीरज कुमार द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी को दिनांक 19.12.2023 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) की उसने दूसरी फर्म से खरीदी थी एवं जिस अवस्था में खरीदी उसी अवस्था में विक्रय की है, इसलिये निर्माता फर्म दोषी है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा दिनांक 18.3.2023 को खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान फर्म श्री जी एन्टरप्राइजेज, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरौही के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) के 50 कार्टुन (प्रत्येक में 12 पैकड बोतलें)(प्रत्येक 500 एम.एल.) में से Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) की 16 पैकड बोतलें (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) के नमूना संख्या S-2068 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक,</p>	



प्रति. जिला बक्सिडुंग
सिरौही-307001.



<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.124/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./699/Act/2023/742 दिनांक 01.4.2023 के अनुसार अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी धीरज कुमार ने Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) के क्रय का बिल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी धीरज कुमार पुत्र रुपाराम जी खत्री, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री जी एन्टरप्राइजेज, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही ने अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी धीरज कुमार स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 52 के तहत अमानक (sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) Packaged Drinking water (Brand-Aquaris) के विक्रय हेतु प्रतिवादी धीरज कुमार पुत्र रुपाराम जी खत्री, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री जी एन्टरप्राइजेज, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी धीरज कुमार पुत्र रुपाराम जी खत्री, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री जी एन्टरप्राइजेज, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 09.2.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (डॉ. भास्कर बिश्नोई) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001. </p>	

